(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

वादी — बनाम — प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा: शपथपत्र — अधीन धारा: 151 — मु.नं.: 112/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.9.18	वादी श्रीमती उप० होकर वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरा वाद मु० 47/18 पेश कर रखा है प्रतिवादी हनुमान कोहला मुझे मेरे हक होने की जमीन पर परेशान कर रहे हैं उनको पाबन्द फरमावें। वादी की निवेदन पर राजस्व लोक अदालत कैम्प डिवे में मु० 47/18 तलब की पक्षकारान को उपस्थित पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण को आपस में बैठाकर समझाइश करने पर पक्षकारान राजी होकर आपसी मतभेद मिटाकर मु० 47/18 में राजस्व लोक अदालत कैम्प डिवे में ही राजीनामा पेश कर वाद नं० 47/18 का निपटारा कराना लिखा है वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर पक्षकारान के आपस में राजीनामा होने पर इनकी कोई कार्यवाही नहीं चाहकर राजीनामा पेश किया राजीनामा में इनकी कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर वाद खारिज किया जाता है फाइल नम्बर से कम होकर दफ्तर जावे। निर्णय सुनाया गया [signature]	